इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 484] भोपाल, शनिवार, दिनांक 5 नवम्बर 2011—कार्तिक 14, शक 1933

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2011

सूचना

क्र. एफ. 1-5-2011-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के परन्तुक में अन्तर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एक नवीन तहसील सनावद, जिला खरगोन सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित किये गए अनुसार वर्तमान तहसील बड़वाह, जिला खरगोन की सीमाओं को परिवर्तित करने हेतु कॉलम क्रमांक (2) में दर्शाई तहसील को कॉलम (3) में दर्शाये उसके नाम से मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किए अनुसार नवीन तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है. इस प्रस्ताव पर ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इस सूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से 60 दिवस समाप्त होने पर विचार किया जायेगा और उसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव उक्त कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को भेजे जा सकेंगे :—

अनुसूची

क्र. (1)	प्रस्तावित तहसील (2)	मुख्यालय (3)	वर्तमान तहसील (4)	परिवर्तन का प्रकार (5)	सीमाएं (6)
1	सनावद	सनावद	बड़वाह	वर्तमान तहसील बड़वाह के राजस्व निरीक्षक मंडल सनावद का प.ह.नं. 59 से 115 इस प्रकार कुल 57 प.ह. अपवर्जित होकर प्रस्तावित तहसील सनावद में कुल 57 प.ह. होंगे जिसमें कुल 129 राजस्व ग्राम होंगे.	**पूर्व**—तहसील खण्डवा, जिला खण्डवा. **पश्चिम**—तहसील कसरावद, जिला खरगोन. **उत्तर**—नर्मदा नदी. **दक्षिण**—भीकनगांव, जिला खरगोन.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	बड़वाह	बड़वाह	बड़वाह	शेष रही तहसील बड़वाह के राजस्व निरीक्षक मंडल बड़वाह प.ह.नं. 1 से 58 कुल प.ह. 58 एवं राजस्व ग्राम 190 शेष रहेंगे.	**पूर्व**—तहसील बागली, जिला देवास. **पश्चिम**—तहसील महेश्वर, जिला खरगोन. **उत्तर**—तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला इन्दौर. **दक्षिण**—नर्मदा नदी.

प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.